

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4(33)आयो./निकाशि/2013/546


दिनांक: 2 मई, 2013

कार्यालय आदेश

प्राचार्य, राजकीय बागड महाविद्यालय पाली ने उनके पत्र क्रमांक 463 दिनांक 21.2.2013 के द्वारा महाविद्यालय विकास समिति योजनान्तर्गत स्ववित्तपोषी योजना के तहत राजकीय बागड महाविद्यालय पाली में सत्र 2013-14 से ओ लेवल सर्टीफिकेट कोर्स को नवीन विषय / पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 62 शिक्षा ग्रुप-5/13 दिनांक 17.4.2012 के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र सं.	नवीन विषय/पाठ्यक्रम	प्रवेशित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	प्रति विद्यार्थी शुल्क (वार्षिक)
1	ओ लेवल सर्टीफिकेट कोर्स (कम्प्यूटर साइन्स)	30	8000/-

1. महाविद्यालय विकास समिति द्वारा नवीन विषय का संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा।
2. महाविद्यालय विकास समिति नवीन विषय हेतु यू.जी.सी अर्हताधारी व्याख्याताओं की अध्यापन हेतु नियुक्ति करेगी जो कि कार्य व्यवस्था पर रखे जावेंगे।
3. महाविद्यालय विकास समिति विश्वविद्यालय के मानदण्डों के अनुरूप आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी।
4. महाविद्यालय विकास समिति अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्ति ही कार्य के लिए एजेन्सी के माध्यम से रखेगी।
5. महाविद्यालय विकास समिति नवीन विषय का संचालन स्ववित्तपोषी योजना में करेगी।
6. महाविद्यालय विकास समिति आय व्यय का लेखा जोखा रखेगी तथा उनका नियमित रूप से अंकक्षण करायेगी।
7. उक्त महाविद्यालय विकास समिति को राज्य सरकार द्वारा नवीन विषय के लिए वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता एवं संसाधन नहीं दिये जावेगे।
8. महाविद्यालय विकास समिति समय-समय पर जारी राज्य सरकार एवं निदेशालय, कालेज शिक्षा द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।


(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक: एफ 4(33)आयो./निकाशि/2013/546-556

दिनांक: 2 मई, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. राज्य उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग जयपुर को उनकी एम आर संख्या 813 दिनांक 24.04.2013 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनकी एम आर संख्या 143 दिनांक 22.04.2013 के संदर्भ में।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, पाली।
7. अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास समिति, राजकीय बागड महाविद्यालय पाली
8. प्राचार्य, राजकीय बागड महाविद्यालय पाली
9. वेबसाइट प्रभारी / कम्प्यूटर/सांख्यिकी शाखा/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली /


संयुक्त निदेशक